

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2636
04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

असैन्य विमानपत्तनों से आईएएफ विमान का प्रचालन

2636.श्री ए. गणेशमूर्ति :
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने युद्ध की स्थिति में उत्तर भारत के चार असैन्य विमानपत्तनों से (सुखोई-30 लड़ाकू) विमानों के प्रचालन की अनुमति दी है ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या आईएएफ के पास देश के दक्षिणी भागों में कुछ असैन्य विमानपत्तनों से इन लड़ाकू विमानों के प्रचालन का कोई प्रस्ताव है ; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): भारतीय वायुसेना के सिद्धांत के अनुसार, भारत के सभी हवाई क्षेत्रों का उपयोग आपरेशनों की सहायता के लिए वायुक्षेत्रों की तात्कालिकताओं और सक्षमता पर आधारित लड़ाकू/परिवहन/हेलीकॉप्टर आपरेशनों हेतु किया जाएगा जो उपलब्ध अवसंरचना पर आधारित होगा ।
